आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.10.2019		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्विटेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–30/2019

जमालुद्दीन –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा–तोपचांची, थाना नं0–49, खाता नं0–97 प्लॉट नं0–2160/4, रकवा–0.0050 एकड भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि एवं मकान आवेदक के अंश से अर्जित किया गया है, जिसमें से व्यवसायिक मकान का आधा हिस्सा टूट रहा है, यदि मकान का अधिग्रहण में जितना भी अंश बच जाता है उसका पुरा मुआवजा दिया जाएगा, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। आवेदक द्वारा जमीन व मकान की संरचना का पुनः मापी करते हुए पुर्नमूल्यांकन कर उचित मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप अनुपयोग अवशेष भूमि एवं अवस्थित संरचना का एन0एच0 एक्ट/विभागीय निदेश के आलोक में मूल्यांकन कर यदि देय हो तो नियमानुसार आवेदक को मुआवजा राशि भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner